जयराम रमेश
JAIRAM RAMESH

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 114

अ.शा. पत्र संख्या क्यू-14018/54 (एलडब्ल्यूई)2009-डीडब्ल्यूएस (सां.) दिनांक : 22 सितम्बर, 2011

प्रिय मायावतीजी —

आप इस बात से अवगत होंगी कि ग्रामीण विकास तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयों एवं योजना आयोग ने संयुक्त रूप से 13 सितम्बर, 2011 को " समेकित कार्य योजना जिलों में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त विकास कार्यनीतियां" विषय पर 60 आईएपी जिलों के कलक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की थी । मैं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के संबंध में संबंधित कार्यशाला की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में आपको यह पत्र लिख रहा हूँ ।

**विशेष रिग्स :** विशेष रिग्स से तेजी से ड्रिलिंग करने में मदद मिलती है और कुछ आईएपी जिलों में मृदा संस्तर की समस्या को दूर करने के लिए केसिंग की जरूरत पड़ती है । एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत एनआरडीडब्ल्यूपी (कवरेज) निधियों से रिग्स/हाइड्रो-फ्रैक्चरिंग यूनिट्स खरीदने की व्यवस्था की गई है ।

आप जरूरत पड़ने पर, एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों से आईएपी जिलों के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आवश्यक विशेष रिग्स खरीदने पर विचार कर सकती हैं ।

**सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंप वाली लघु जल आपूर्ति योजनाएं :** दूर-दूर बसी छोटी बसावटें, जहां जनजातीय व्यक्तियों की आबादी अधिक है और जहां बिजली नहीं है या इसकी आपूर्ति अनियमित है, आईएपी जिलों की मुख्य विशेषताएं हैं । ऐसी बसावटों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से, महाराष्ट्र में 160 से अधिक बसावटों में सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंप वाली लघु जल आपूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं । ये सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंप 7 से भी कम दिनों में लगाए जा सकते हैं, उस समय भी काम कर सकते हैं, जब बादल छाए हुए हों और एक बसावट में 250 व्यक्तियों को पाइप से जल की आपूर्ति कर सकते हैं । प्रति योजना औसत लागत लगभग 5 लाख रू. है । जब सौर पंप काम नहीं कर रहा हो तब इस पंप को हाथों से भी चलाया जा सकता है । इस मॉडल की रूपरेखा आपके अवलोकनार्थ संलग्न है ।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह आईएपी और अन्य जिलों में छोटी और दूर-दूर बसी बसावटों में पाइप द्वारा जल की आपूर्ति करने की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त मॉडल है । एनआरडीडब्ल्यूपी (स्थायित्व) निधियों से सौर पंपों की खरीद की जा सकती है जो कि शत-प्रतिशत केंद्रीय अंश आधार पर उपलब्ध कराई जाती है और इसमें नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सब्सिडी दी जाती है । बोरवेल, पाइपिंग, तालाबों आदि पर होने वाली अन्य लागतों को 50: 50 की लागत वहन पद्धति के आधार पर एनआरडीडब्ल्यूपी (कवरेज) निधियों से वहन किया जा सकता है ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खासकर आईएपी जिलों में ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार करें ।

सादर,

आपका,

(जयराम रमेश)

**कुमारी मायावती,**
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश